भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *398
27 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य क्षेत्र में प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना

***398. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस बात के दृष्टिगत कि प्रसंस्करण का समग्र स्तर औसतन केवल लगभग 10 प्रतिशत है जिसमें फलों का 4.5 प्रतिशत, सब्जियों का 2.7 प्रतिशत, दूध का 21.1 प्रतिशत, मांस का 34.2 प्रतिशत और मत्स्य का 15.4 प्रतिशत हिस्सा है, भारत के खाद्य क्षेत्र में कम स्तर के प्रसंस्करण की समस्या से निपटने के लिए कार्यान्वित किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की वर्ष 2025 तक खाद्य उत्पादों के मूल्य संवर्धन को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने और फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की कोई योजना है, यदि हां, तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कार्यनीतियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस वृद्धि में सहयोग करने और वर्ष 2019-20 में 263 बिलियन डॉलर की तुलना में वर्ष 2025-26 तक 535 बिलियन डॉलर प्राप्त करके सभी क्षेत्रों में लाभ का समान एवं न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने का कोई लक्ष्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि अपर्याप्त प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना के कारण शीघ्र नष्ट होने वाले चालीस प्रतिशत से अधिक उत्पाद बर्बाद हो जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा खाद्य अपव्यय को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तर हेतु "खाद्य क्षेत्र में प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *398 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने डेलॉइट के माध्यम से "भारत में खाद्य प्रसंस्करण के स्तर को निर्धारित करने के लिए अध्ययन", 2021 शीर्षक से एक अध्ययन किया था। अध्ययन के अनुसार, भारत में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण का स्तर निम्नानुसार है:

भारत में प्रसंस्करण का स्तर (%)

श्रेणी/ वस्तु	**वर्ष**
	2018-19
फल	4.5
सब्ज़ियाँ	2.7
दूध	21.1
मांस	34.2
मछली	15.4

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रसंस्करण/परिरक्षण क्षमता के सृजन और विस्तार के लिए सहायता प्रदान करता है , जिसमें खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और उच्च मूल्यवर्धन सृजित करना, किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, बर्बादी को कम करना, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाना शामिल है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत योजनाएं इस प्रकार हैं:

i. केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई)
ii. केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना"
iii. केंद्रीय क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई)

पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उद्यमियों को आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाओं, संग्रह केंद्रों, प्री-कंडीशनिंग, प्री-कूलिंग, राईपनिंग, पैकिंग आदि जैसे संबद्ध बुनियादी ढांचे के साथ कोल्ड चेन सहित खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण उद्योगों की स्थापना के लिए अनुदान सहायता के रूप में अधिकतर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं में अनुमोदित/पूरी हुई परियोजनाओं की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

योजना का नाम	**कुल स्वीकृत परियोजनाएं (संख्या में)**	**कुल** पूरी हुई **परियोजनाएं (संख्या में)**	पूरी हुई **परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)**	**प्रसंस्करण (एमटी/वर्ष)**	**परिरक्षण (एमटी/वर्ष)**
एपीसी	75	23	2421.87	16.39	9.98
बीएफएल	61	53	693.30	5.02	3.81
सीसी	394	286	11466.38	150.05	57.42
सीईएफपीपीसी	526	293	8443.43	118.04	0.00
एफटीएल	205	167	1176.63	0.00	0.00
एमएफपी	41	24	4660.33	15.40	28.56
ओजी	44	7	2102.54	11.03	1.77
अनुसंधान एवं विकास	236	225	97.16	0.00	0.00
कौशल	26	25	18.84	0.00	0.00
कुल	**1608**	**1103**	**31080.48**	**315.92**	**101.54**

28.02.2025 तक

पीएमएफएमई के तहत मंत्रालय मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के साथ-साथ नई इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है। यह योजना 2020-21 से 2025-26 तक चालू है, जिसका कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये है। देश भर में पीएमएफएमई की प्रगति निम्नवत है :

क्र. सं.	**घटक**	**समग्र उपलब्धि**
1	ऋण से जुड़ी सब्सिडी- व्यक्तिगत उद्यम	1,27,758
2	ऋण से जुड़ी सब्सिडी- सामान्य अवसंरचना	83
3	प्रारंभिक पूंजी (स्वीकृत राशि के साथ अनुमोदित एसएचजी सदस्यों की संख्या)	3,27,150 सदस्यों के लिए रु. 1088.42 करोड़.
4	इन्क्यूबेशन सेंटर स्वीकृत	23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 205.36 करोड़ रुपये के परिव्यय से 75 इन्क्यूबेशन केंद्रों को मंजूरी दी गई।
5	ब्रांडिंग और मार्केटिंग	17

28.02.2025 तक

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण में सहायता करना तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है। यह योजना 2021-22 से 2026-27 तक छह वर्ष की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ क्रियान्वित की जा रही है। आज की तिथि तक, पीएलआई योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत स्वीकृत आवेदन निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	योजना	खंड	अनुमोदनों की संख्या	कुल
1.	पीएलआईएसएफपीआई की श्रेणी-I	आरटीई/आरटीसी	12	53
		एफ एंड वी	27	
		समुद्री	10	
		मोज़ेरेला चीज़	4	
2	पीएलआईएसएफपीआई की श्रेणी-II	अभिनव	2	16
		जैविक	14	
3	पीएलआईएसएफपीआई की श्रेणी-III	बी एंड एम	73	73
4	पीएलआईएसएमबीपी	बड़ी संस्थाएं	8	29
	पीएलआईएसएमबीपी	एमएसएमई	21	
		कुल	171	171

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद– केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीएआर-सीआईपीएचईटी), 2015 और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (एनएबीसीओएनएस), 2022 द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार , भारत में फसल कटाई और कटाई के बाद खराब होने वाली विभिन्न कृषि उपज के नुकसान का अनुमानित प्रतिशत निम्नानुसार है:

फसलें/ वस्तुएं	**अनुमानित प्रतिशत हानि**	
	आईसीएआर-सीफेट अध्ययन (2015) के अनुसार	**नब्स्कोंस अध्ययन (2022) के अनुसार**
अनाज	4.65 - 5.99	3.89-5.92
दालें	6.36 - 8.41	5.65-6.74
तिलहन	3.08 - 9.96	2.87-7.51
फल	6.70-15.88	6.02-15.05
सब्ज़ियाँ	4.58-12.44	4.87-11.61
बागान फसलें और मसाले	1.18-7.89	1.29-7.33
दूध	0.92	0.87
मत्स्य पालन (अंतर्देशीय)	5.23	4.86
मत्स्य पालन (समुद्री)	10.52	8.76
मांस	2.71	2.34
मुर्गीपालन	6.74	5.63
अंडा	7.19	6.03

*****